

# न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या-11/2023-24

प्रथम पक्ष:-लक्ष्मी ठाकुर एवं अन्य, ग्राम-धनगडा, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्ष:-अंचल अधिकारी, टण्डवा एवं अन्य, ग्राम-धनगडा, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा।

1

2

3

## आदेश

इस वाद की प्रक्रिया आवेदक-लक्ष्मी ठाकुर, पिता-स्व० हरिचरण ठाकुर एवं अन्य, सभी ग्राम-धनगडा, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ की गई है। इस वाद में प्रथम पक्ष लक्ष्मी ठाकुर, पिता-स्व० हरिचरण ठाकुर एवं अन्य, सभी ग्राम-धनगडा, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा है, जबकि द्वितीय पक्ष अंचल अधिकारी, टण्डवा एवं अन्य, सभी ग्राम-धनगडा, थाना-टण्डवा जिला-चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

मौजा का नाम	खाता नं०	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
धनगडा	27,177	25 एवं अन्य	3.58,5.69
कुल-			9.27


इस वाद की प्रक्रिया के क्रम में उभय पक्ष द्वारा लिखित कथन दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल लिखित कथन के कण्डिका-14 में बताया है कि प्रश्नगत भूखण्ड से संबंधित मामला माननीय व्यवहार न्यायालय चतरा में चल रहा है जिसका वाद संख्या Original Suit-36/2023 है।


सी०पी०सी० धारा-10 में उल्लेखित है कि

*"Stay of suit- No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like jurisdiction, or before the Supreme Court"*

उक्त परिपेक्ष्य में वाद की सुनवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः वाद की अग्रतर कार्रवाई स्थगित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
सिमरिया।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
सिमरिया।